संख्या – 317(1)/आठ–4–08–2एन/2005

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 02 अप्रैल, 2008

विषय : नजूल नीति के प्रबन्धन, फ्री होल्ड एवं निस्तारण के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के प्रबन्धन, फ्री होल्ड करने एवं निविदा/नीलामी के माध्यम से उसके निस्तारण की प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित करते हुए उसके लिए जनपद लखनऊ के अतिरिक्त समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जनपद लखनऊ में स्थित नजूल भूमि के सम्बन्ध में उक्त अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रदान किया गया है। इस संबंध में निर्गत प्रमुख शासनादेशों का उल्लेख पार्श्व में किया जा रहा है।

2. शासन स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि नजूल भूमि के प्रबन्धन, फ्री होल्ड एवं निस्तारण के संबंध में शासनादेशों में दी गयी स्पष्ट प्रक्रिया के बावजूद भी तद्नुरूप नजूल भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। फलतः नजूल नीति की मंशा के अनुरूप आशातीत परिणाम नहीं प्राप्त हुआ है। अनेकों मामलों में तो कार्यवाही अत्यन्त विलम्ब से की गयी है। यह भी देखा गया है कि बहुत से जनपदों से अत्यन्त सामान्य प्रकृति के प्रकरणों में अनावश्यक संदर्भ शासन को भेजकर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है, जो स्वस्थ परम्परा नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में जहां एक

1–सं.–1662/9–आ–4–92–293एन/90,दिनांक 23.06.1992
2–सं.–3632/9–आ–4–92–293एन/90,दिनांक 02.12.1992
3–सं.–2093/9–आ–4–293एन/90,दिनांक 03.10.1994
4–सं.–82/9–आ–4–96–629एन/95,दिनांक 17.02.1998
5–सं.–1300/9–आ–4–96–629एन/95(टीसी),दिनांक 29.08.1996
6–सं.–2029/9–आ–4–97–260एन/97,दिनांक 26.09.1997
7–सं.–2268/9–आ–4–98–704एन/97,दिनांक 01.12.1998
8–सं.–2873/9–आ–4–02–152एन/2000 टीसी,दिनांक 10.12.2002
9–सं.–1642/आठ–4–06–137एन/2004,दिनांक 04.08.2006
10–सं.–1887/8–4–07–137एन/04,दिनांक 20.12.2007
11–सं.–317/8–4–08–02एन/04,दिनांक 15.02.2003

ओर नजूल भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं दूसरी ओर जनमानस में शासन की छवि धूमिल होती है।

3. अस्तु अनुरोध है कि लखनऊ में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर नजूल भूमि के प्रबन्धन, फ्री होल्ड एवं उसके निस्तारण के संबंध में शासन के समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। फ्री होल्ड के लिए जो भी आवेदन पत्र लम्बित है प्रोसेस करके, उनका निस्तारण करते हुए यथास्थिति डिमाण्ड नोट जारी किया जाये या अग्राह्य होने की स्थिति में उसे अस्वीकृत करके आवेदनकर्ता को अवगत करा दिया जाय। यह कार्यवाही आगामी दो माह के अन्दर पूरी करके शासन को कृपया अनुपालन आख्या प्रेषित की जाय कि दिनांक 31.3.08 तक प्रस्तुत किया गया फ्री होल्ड का कोई आवेदन पत्र अब निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है। यह भी समीचीन होगा कि लखनऊ के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में एवं अन्य जनपदों में जिलाधिकारी, कार्यालय में किसी उपयुक्त एवं सर्वसुलभ स्थान पर नोटिस बोर्ड पर यह सूचना बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित कर दी जाय कि नजूल भूमि के फ्री होल्ड आदि के संबंध में यदि किसी को कोई कठिनाई हो तो प्रदर्शित किये गये दिन/समय में वे सीधे जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव